भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.4507

19 मार्च 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक

4507.श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली में पीएम-यूडीएवाई योजना के तहत मालिकाना हक प्रदान की गई 1,700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों के ले-आउट प्लान अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या ले-आउट प्लान के अभाव में इन कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ले-आउट प्लान तैयार नहीं होने के कारण इन कॉलोनियों के निवासी अपने नक्शे पास कराने और अपने मकान बनाने से वंचित हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कॉलोनियों के ले-आउट प्लान तैयार करने के संबंध में कार्य पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) : 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019' के तहत सूचीबद्ध 1731 अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) के नियमितीकरण/नवीनीकरण के लिए लागू विकास नियंत्रण मानदंडों (डीसीएन) को दिनांक 08.03.2022 के का. आदेश 1014 (ई) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचित विकास नियंत्रण मानदंडों में निर्धारित न्यूनतम शर्तों को पूरा करने वाली विकासकर्ता संस्था या संघटक भूमि मालिक/निवासी या यूसी के आरडब्ल्यूए/पार्ट यूसी को 'यूसी नवीनीकरण योजना' या 'मौजूदा यूसी/पार्ट यूसी का नियमितीकरण' के रूप में अनुमोदन के लिए प्रस्ताव/योजना प्रस्तुत करनी होगी।

इसके बाद, व्यक्तिगत भूमि मालिक किसी भी नियमितीकरण/विस्तार/संशोधन/नए निर्माण के लिए संशोधित भवन योजना के अनुमोदन हेतु संबंधित स्थानीय निकाय को आवेदन कर सकते हैं, जो भवन उप-नियमों, संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा आदि के प्रासंगिक प्रावधानों के संबंध में सभी सांविधिक स्वीकृतियों के अधीन होंगे।

अब तक, यूसी के आरडब्ल्यूए में से कोई भी नियमितीकरण/नवीनीकरण के लिए दिनांक 08.03.2022 के का. आदेश 1014 (ई) द्वारा अधिसूचित डीसीएन के अनुसार किसी भी प्रस्ताव/योजना के साथ आगे नहीं आया है।

इसके अलावा, अनधिकृत कॉलोनियों के लेआउट प्लान तैयार करने के लिए ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
